

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 48 वीं बैठक

दिनांक 3.5.2003 को 12.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

ए. स.	विषय	खातेदार/गृ. नि.स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
1	पहाडगंज गृ.नि.स.स. की योजना डिफेन्स कॉलोनी के अनुमोदन के संबंध में	पहाडगंज गृ. नि.स.स.	डिफेन्स कॉलोनी	खो-नागो रियान	294, 518, 521		10	मौके की स्थिति के अनुसार योजना का आवासीय क्षेत्रफल 75.39 प्रतिशत होने, भूखण्डों में से हाईटेंशन लाईन गुजरने, योजना में से 60 फीट चौड़ी सैक्टर रोड गुजरने व अन्दर की सड़कों की चौड़ाई बहुत कम 20'-0" होने अर्थात् कई नियमों का उल्लंघन होने के कारण योजना को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
2	लक्ष्मी नारायणपुरी गृ.नि.स.स. की योजना ओम कॉलोनी के अनुमोदन के संबंध में	लक्ष्मी नारायणपुरी गृ.नि.स.स.	ओम कॉलोनी	किलनगढ	35, 36/1, 36/2, 83		10	योजना की भूमि का उपयोग इकोलोजिकल हैं योजना में से हाईटेंशन लाईन गुजर रही है तथा आवासीय क्षेत्रफल 76.20 होने के कारण योजना को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
3	माधव गृ.नि.स.स. की योजना चन्द्र नगर के भू.स. 7 से 25 व 84 से 86 को सवीकृत किए जाने के संबंध में	माधव गृ.नि. स.स.	योजना चन्द्र नगर	-	-	-		योजना के भू.स. 7 से 25 व 84 से 86 को स्वीकृत किये जाने पर योजना का आवासीय क्षेत्रफल 65 प्रतिशत हो जाता है। चूंकि सडक सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 16.4.2003 के आदेशानुसार सुविधा क्षेत्र आवंटन पर रोक होने के कारण निर्णय लिया गया कि फिलहाल प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की जाय।
4	लालकोठी क्षेत्र फ्रेण्डस कॉलोनी भू.स 4 से 9 एवं भू.स. 11, से 17 बी मध्य स्थित 30' सडक के अलाइमेंट के सन्दर्भ में।	लालकोठी योजना	फ्रेण्डस कॉलोनी			लाल कोठी		उपायुक्त जोन 3 के द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर मौका निरीक्षण की रिपोर्ट की सिफारिशों के मध्यनजर यह निर्णय लिया गया कि आवश्यक भूमि एक तरफा ही अर्थात् पश्चिममुखी भूखण्डों में से काटकर आलाइमेंट की सीध में 30' सडक रखी जावें।
5	अम्बेडकर गृ.नि.स.स. की योजना नं. 2, के संबंध में	अम्बेडकर गृ.नि.स.स.	योजना नं. 2,				6	जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताये गए तथ्यों को समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया:- 1. पूर्व अनुमोदित सेक्टर प्लान के अनुसार 60 फीट चौड़ी सैक्टर रोड


								को अभी यथावत रखते हुए प्रस्तावित संशोधित एलाईमेंट को 30 फीट चौड़ाई के स्थान पर 60 फीट रखा जाये। 2. संशोधित एलाईमेंट 60 फीट उपलब्ध होने के पश्चात ही सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क को विलोपित किया जावे
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर भी विचार विमर्श किया गया।								
6	सयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की कौसमों कॉलोनी में सुविधा क्षेत्र में आ रहे भूखण्ड संख्या 60 से 64 और 62ए, 63ए 63बी, 64ए तथा 64 बी के अनुमोदन बाबत।	सयुक्त गृ.नि. स.स.	कौसमों कॉलोनी					6 जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा में उपरोक्त प्रकरण सुविधा क्षेत्र में आ रहे भूखण्डों के अनुमोदन के संबंध में है जिसके लिए स्थानीय समझौता समिति द्वारा भूखण्डों के नियमन के लिए निर्णय लिया गया था। समिति ने जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 21.4.2003 के द्वारा स्थानीय समझौता समिति के निर्णयों की क्रियान्विती पर रोक लगा रखी है एवं दिनांक 16.4.2003 को पारित एक अन्य निर्णय में योजनाओं में अंकित सुविधा क्षेत्र/पार्क क्षेत्र में नये निर्माण अथवा आवंटन पर रोक लगा रखी है। उपरोक्त तथ्यों पर विचार विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि फिलहाल प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जावे।
7	म्युच्युअल हा.को.सो.लि.की योजना प्रेम नगर, ग्राम सांगानेर के संबंध में	म्युच्युअल हा.को.सो.लि. की	योजना प्रेम नगर	सांगानेर				8 जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सड़क सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 16.4.2003 के आदेशानुसार सुविधा क्षेत्र के नियमन/आवंटन पर रोक होने के कारण फिलहाल प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की जाये।
8	पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना 10 बी के भू.स. बी-185 व विश्वेसवरिया नगर विस्तार के भू.स. 17 के सामने सड़क में एस कर्व देने के संबंध में।	पथिक भवन गृ.नि.स.स	योजना 10 बी विश्वेसवरिया नगर विस्तार	-	-	-		5 पथिक भवन गृ.नि.स.स. की योजना 10 बी के भू.स. बी-185 व विश्वेसवरिया नगर विस्तार के भू.स.17 जहाँ पर दोनों योजनायं मिलती है 30'-0" चौड़ी सड़क सीध में नहीं मिलती है। इस जंक्शन पर सड़कों में ऑफ सैट आ जाता है। तथा 30 फीट चौड़ाई उपलब्ध नहीं होती है इसलिए 30'-0" चौड़ी सड़क को सीध में करने हेतु सड़क में एस कर्व देने का निर्णय लिया गया।
9	पहाडगज गृ.नि.स.स. की योजना ग्रीन नगर में भू.स. सी-2, से सी-39 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने के संबंध में	पहाडगज गृ. नि.स.स.	योजना ग्रीन नगर					4 माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 16.4.2003 के द्वारा सुविधा क्षेत्र में आवंटन करने के संबंध में रोक लगा रखी है इसलिए भू.स. सी-2 से सी-39 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त न करने के संबंध में निर्णय लिया गया।

Am

10	मालवीय नगर अण्डर ग्राउण्ड ब्रिज के पास दिल्ली रेल्वे लाईन के समानान्तर जगतपुरा रोड की चौड़ाई 40'-0" किये जाने के संबंध में।						सडक क्षेत्र अन्य सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा अन्य सुविधा क्षेत्र को आवंटन करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है इसलिए इस सडक की चौड़ाई 80'-0" से कम नहीं करने के संबंध में निर्णय लिया गया।
11	माणिक्यपुरी गृ.नि.स.स. की योजना न. 14, (गोविन्दा कॉलोनी) के भू.स. 38 को सडक क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।	माणिक्यपुरी गृ.नि.स.स.	योजना न. 14, (गोविन्दा कॉलोनी)				माननीय उच्च न्यायालय ने सुविधा क्षेत्र/पार्क हेतु आरक्षित क्षेत्र में कोई नया निर्माण अथवा आवंटन करने पर रोक लगा रखी है। सडक भी सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। अतः निर्णय लिया गया कि फिलहाल प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं की जाये।
12	सिन्धु नगर गृ.नि.स.स की दुर्गा विहार योजना (अन्डरब्रिज 200' बाईपास के पास मालवीय नगर) के अनुमोदन के संबंध में	सिन्धु गृ.नि. स.स.	योजना दुर्गा विहार	झालाना डूंगरी तह. सांगाने	235,236,238, 242से244,246,247,249, ,250,255 से 263 की कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा में से 5 बीघा 1 बिस्वा एवं ख.न. 220,241,245,248,251, 253,254,264 को कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा में से 2 बीघा 2 बिस्वा		प्रकरण को समिति की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।



13	जयपुर इण्डस्ट्रीज को.हा.गृ.नि.स.स. की आदिनाथ नगर योजना के अनुमोदन के संबंधमें	जयपुर इण्डस्ट्रीज को.हा.गृ.नि.स.स.	आदिनाथ नगर	सांगानेर			1	प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
14	महालक्ष्मी गृ.नि.स.स.की महालक्ष्मी नगर योजना के अनुमोदन हेतुं	महालक्ष्मी गृ. नि.स.स	महालक्ष्मी नगर			9	1	प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर प्रकरण को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तथा यह आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
15	विभिन्न जोन्स से सुविधा क्षेत्र में आने वाले भूखण्डों को नियमित करने के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है।							माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.4.2003 के द्वारा सुविधा क्षेत्र में निर्माण या आवंटन पर रोक लगा दी है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फिलहाल प्रकरणों पर कोई कार्यवाही नही की जावे। चूंकि सडक भी सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। अतः सडकों की चौडाई कम करने के मामले भी स्थगित रखे जावे।



सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति

भवन मानचित्र समिति (ले आउट) प्लान की 48 वीं बैठक दिनांक 3.5.2003 को 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई।

1.	डॉ. दिनेश कुमार गोयल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री महेश जोशी,	विधायक	राजस्थान विधानसभा, जयपुर।	सदस्य
3.	माननीय श्री अशोक तंवर	विधायक	राजस्थान विधानसभा, जयपुर।	सदस्य
4.	माननीय श्री राजेन्द्र मावर	सदस्य	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5.	श्री हेमन्त गेरा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6.	श्री एस.सी. महागावंकर	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7.	श्री ओ.पी. यादव	अति.आयुक्त पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8.	श्रीमती शुचि शर्मा	अति.आयुक्त पूर्व	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
9.	श्री ए.एन. भार्गव	वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
अन्य अधिकारी उपस्थित				
10.	श्री नीरज तिवारी	उप नगर नियोजक (बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
11.	श्रीमती आशा अवस्थी	उप नगर नियोजक(एम.पी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12.	श्री गिरीराज अग्रवाल	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13.	श्री एन.के.खिचा	उपायुक्त जोन-6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14.	श्रीमति रश्मी गुप्ता	उपायुक्त जोन-2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15.	श्री एन.के.गुप्ता	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16.	श्रीमति दुर्गा जोशी	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17.	श्री मुकेश शर्मा	उपायुक्त जोन-1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18.	श्री एन.के.खिचा	उपायुक्त जोन-6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19.	श्री हरि प्रसाद शर्मा	सहायक नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20.	श्री----- सैनी	सहायक नगर नियोजक 8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	



सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/स.स./बीपीसी/2003/डी- दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलंगन है:-

क्र.सं.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव	अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2.	विधायक	माननीय श्री महेश जोशी, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3.	विधायक	माननीय श्री अशोक तंवर, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4.	सदस्य	माननीय श्री राजेन्द्र मावर, जयपुर विकास प्राधिकरण,
5.	वरिष्ठ निजी सचिव	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6.	निजी सचिव	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	निदेशक(आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8.	अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व/पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9.	उपायुक्त जोन-----1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10.	जन सम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति